HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1046 **Indore, Dated 04.04.2022**

प्रति,

श्रीमती फरहत नाजनीन
पता– वार्ड नं–01 मु.पोस्ट. रजेगाँव
तह. किरनापुर जि. बालाघाट,
रजेगांव, बालाघाट म.प्र.–481115

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्ती बाबत्।

संदर्भ :– आपका आवेदन पत्र Form-A दिनांक–Nil म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर आवक क्र. 460 दिनांक 08/02/2022 लोक सूचना अधिकारी, इन्दौर के कक्ष में प्राप्ति दिनांक 08/02/2022 & marked Id. No. 10/2022-2023

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :–

चाही गई जानकारी का विवरण :–"(1) आवेदिका द्वारा माननीय को दिनांक 07/10/2021 को **विषय :–मुझ प्रार्थीनी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.के.पालीवाल साहब के समक्ष प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र क्र. 3594/2021 को स्वीकार करवाने हेतु 10 से 15 लाख रूपये रिश्वत देने का प्रयास करने के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने बाबद।** प्रस्तुत किया था, **जिसके संबंध में आवेदिका को समस्त नोटशीट, समस्त पत्राचार एवं अग्रिम कार्यवाही तथा एकत्रित किए गए समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो की प्रमाणित एवं जाच के संबंध में लिए समस्त साक्षियों के कथनों प्रमाणित प्रति।"**

1. उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :–

(i) आपके आवेदन पत्र में कमियाँ होने कारण से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सूचना का अधिकार) नियम, 2006 अन्तर्गत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किया जा सकता था इसलिये आवेदन पत्र में कमियों की पूर्ति करने हेतु आप श्रीमती फरहत नाजनीन को आपके द्वारा आवेदन में वर्णित इंदौर व आपके द्वारा आधार कार्ड की फोटोकॉपी में वर्णित बालाघाट दोनो पतो पर ज्ञापन भेजे गये, ज्ञापन क्र.471 इन्दौर दि.11/02/2022 आपके द्वारा आवेदन में वर्णित इन्दौर के पते पर Speed Post No. EI096720063IN के माध्यम से लिफाफा (ज्ञापन) भेजा गया परन्तु पोस्ट–मेन द्वारा 2. Not Known लिखकर म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर लिफाफा वापिस कर दिया व ज्ञापन क्र.472 इन्दौर दि. 11/02/2022 आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी में वर्णित जिला–बालाघाट के पते पर स्पीड पोस्ट क्रमांक EI096720077IN के माध्यम से भेजा गया जो कि Computer पर (Department of Post Ministry of Communications Government of India) Track Consignment Report के अनुसार दिनांक 18/02/2022 (समय-13:15:34) पर Kirnapur S.O. Delivery Confirmed बताया गया था।

श्रीमान् पोस्टमास्टर (साहब) तह. किरनापुर जिला–बालाघाट, रजेगांव, बालाघाट को म.प्र. उच्च न्याया., खण्डपीठ इन्दौर से एक ज्ञापन क्रमांक 824/लोसूअ/ इन्दौर दिनांक 09/03/2022 भेजा गया जिसमें लिखा गया कि श्रीमती फरहत नाजनीन को लिफाफा प्राप्ती के हस्ताक्षर (पावती) की प्रति ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), म.प्र.उच्च न्याय., खण्डपीठ इन्दौर अतिशीघ्र भेजी जावे।

म.प्र.उच्च न्याया., खण्डपीठ इन्दौर के आवक नंबर 1048 दि. 30/03/2022 को अधीक्षक डाकघर बालाघाट संभाग बालाघाट–481001 द्वारा यह सूचित किया गया कि स्पीट पोस्ट क्र. EI096720077IN रजेगांव शाखा डाक घर कार्यालय किरनापुर उपडाकघर से प्राप्तकर्ता को दिनांक 18/02/2022 को वितरित किया गया हैं आर्टिकल की वितरण पर्ची कि एक फोटोकॉपी भी प्रेषित की गई हैं।

04.04.22

निरन्तर...2 पर

आप श्रीमती फरहत नाजनीन को ज्ञापन क्र. 471–472 इन्दौर दि. 11/02/2022 के माध्यम से सूचित किया गया था कि ज्ञापन (पत्र) जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर आवेदन पत्र में वर्णित कमियों की पूर्ति करें परन्तु आज दिनांक 04/04/2022 तक भी आप श्रीमती फरहत नाजनीन द्वारा आवेदन में वर्णित कमियों की पूर्ति नहीं की गई है, अतः आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन निरस्त कर नस्तीबध्द किया जाता हैं तथा आपके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न रूपये 50/– (रू 10X5=रू 50) के 5 भारतीय पोस्टल आर्डर क्र. 27F 332708, 27F 332709, 27F 332710, 27F 332711, 27F 332712 मूलतः आपको वापिस किये जाते हैं।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार अपीलीय अधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार – न्यायिक), म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

04.04.22

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी/ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम)
दूरभाष क्रमांक (कार्यालय)– 2528555/2527808